of Period of Reservation of Seats in Legislatures for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTEENTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move:

"That this House agrees with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 11th March, 1958.".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 11th March, 1958.".

The motion was adopted.

RESOLUTION RE EXTENSION OF PERIOD OF RESERVATION OF SEATS IN LEGISLATURES FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री दीलबन्धु परमार (उदयपुर—रिक्षत — अनुसूचित श्रादिम जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, में संकल्प पेश करता हूं कि इस सभा की यह राय है कि सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए विधान प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संविधान के अनुच्छेद २३४ के अन्तर्गत संसद् और विधान—मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित श्रादिम जातियों के लिए उपवन्धित स्थानों के रक्षण की अविध दस वर्ष और बढ़ा दी जाय।

उपाष्पक महोदय : माननीय सदस्य चरा ठहर जायें। यह रेजोल्यूशन श्रव मूव तो हो गया और श्रव में माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस पर तकरीर भी करें, लेकिन चूंकि मुझ पर यह बोझ है, इसलिए में पहले वक्त के मुताल्लिक फैसला कर देना चाहता हूं। जितनी चिट्स मेरे पास श्रा रही है, उनसे मालूम होता है कि शायद इस मजमून पर सारे ही मेम्बर साहबान बोलना चाहेंगे । इसलिए में शुरू में ही यह कहना चाहता हूं कि हरेक सदस्य यह स्थाल रखें और कम से कम वक्त ले, ताकि जितने ज्यादा में ज्यादा मेम्बर बोल सकें, उतना ही अच्छा होगा ।

एक मानतीय सदस्य : दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय: कम सं कम मुझे तो दस मिनट रखने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ग्रगर दस मिनट रखे जायेंगे, तो बहुत थोड़े मेम्बर साहबान बोल सकेंगे । ग्रगर दस मिनट से भी कम—सात मिनट—रखें जायें, तो ठीक होगा ।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर— रक्षित—श्रनुसूचित जातियां): सात मिनट ही कर दिए जायें। सबको मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोवय: हरेक मेम्बर साहब के लिए सात मिनट हं ग्रीर जिन्होंने मूब किया है, उनके लिए पंद्रह मिनट रखे जाते हैं।

श्री सजराज सिंह: (फिरोजाबाद): समय कितना है?

उपाध्यक्ष महोदय : २ घंटे २६ मिनट।

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Why not extend the time? Shri B. K. Gaikwad (Nasik): The

resolution is very important, and, therefore, the time may please be extended. If Members want to express their views, they should be allowed to speak.

Shri Thimmaiah (Kolar—Reserved-Sch. Castes): We may extend the time up to 8 p.m.

Mr. Deputy-Speaker: The difficulty is that hon. Members do not take up the question when there is the opportunity for them. When I was putting the motion before the House and it was being voted upon by the House nobody stood up and said that the time